रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33001/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 10, 1994/भाद्र 19, 1916
No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 10, 1994/BHADRA 19, 1916

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गये साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1994

सा.का.नि. 449.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं अर्थात् :—

कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चौधरी अबदूर रहिम, जिन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित किया गया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान अपने वेतन के अतिरिक्त 800/— रुपये (केवल आठ सौ रुपए) प्रति माह की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

[सं. के. 11017/3/94-यू.एस.-II]
श्रीमती वीना ब्रह्मा, निदेशक (न्याय)

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

New Delhi, the 24th August, 1994

G.S.R. 449.—In pursuance of the Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

That Shri Justice Chaudhary Abdur Rahim, Judge of the Allahabad High Court, who has been transferred from the Calcutta High Court, shall be entitled to receive in additions to his salary, a compensatory allowance at the rate of Rs. 800 (Rupees eight hundred only) per mensem for the period of his service as Judge, Allahabad High Court.

[No. K. 11017/3/94-US. II]
SMT. VEENA, BRAHMA, Director (Justice)

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

(न्यायिक अनुभाग)

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1994

सा.का.नि. 450.— केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 36 ग के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बहादुर मुम्बई में स्थित स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन गठित विशेष न्यायालयों के समक्ष सभी वांछित मामलों के संचालन के लिए निम्नलिखित

अधिवक्ताओं को, इसमें इसके नीचे विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों पर तुरन्त प्रभावी रूप से विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है :—

1. श्री ए. आर. गुप्ते
2. श्री सी.टी. जार्ज
3. श्री ए.बी. बैलगल
4. श्री ए.के. अनवारी
5. श्री ए.जी. देशमुख
6. श्री ए.एम. देसाई
7. श्रीमती तेजा कटदरे
8. श्री ए. एम. चिमलकर
9. श्रीमती ऊषा सिसोदिया
10. श्री जे.आर. मोरे
11. श्री आई.जे. मंशारमणी
12. श्री जी.एम. वकील
13. श्री एम.पी. जौहरी
14. श्री आर.एन. पाटिल

निबंधन और शर्तें :

1. ये नियुक्तियां तीन वर्ष की अवधि के लिए होंगी ।

2. इन नियुक्त व्यक्तियों को कोई प्रतिधारण/मासिक पारिश्रमिक संदत्त नहीं किया जाएगा ।

3. नियुक्त व्यक्ति नीचे वर्णित फीस के पात्र होंगे :—

(क) परिवाद का प्रारूप बनाना	अधिकतम 5 ऐसी सुनवाई तक 200/- रुपए प्रतिदिन, अर्थात् :—
(ख) प्रभावी सुनवाई	(अ) 300/- रुपए प्रति सत्र, अर्थात् पूर्वाह्न या अपराह्न ।
	(आ) यदि प्रभावी सुनवाई पूर्वाह्न और अपराह्न सत्र में होती है तो 600/ रुपए ।
(ग) अप्रभावी सुनवाई	अधिकतम पांच ऐसी सुनवाई तक 200/- प्रति दिन ।
(घ) परामर्श प्रभार	अधिकतम तीन परामर्शों तक 60/- रुपए प्रति घंटा ।

4. नियुक्त व्यक्ति, विशेष न्यायालयों में किसी दांडिक मामले में केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध या केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग के विरुद्ध उपसंजात नहीं होंगे ।

5. ये नियुक्तियां, दोनों में किसी भी पक्ष द्वारा एक मास की लिखित सूचना देने पर समाप्त की जा सकेंगी ।

[सं. एफ. 23(2)/90-न्याय.]

पी.सी. कण्णन, अवर विधि सलाहकार

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

(Judicial Section)

New Delhi, the 25th August, 1994

G.S.R. 450.—In exercise of the powers conferred by sub-section 8 of Section 24 of the Code of Criminal Procedure 1973 read with Section 36C of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, the Central Govt. hereby appoint with immediate effect, the following advocates as Special Public Prosecutors for conducting all criminal cases before the Special Courts constituted under the NDPS Act, 1985 situated in the Greater Bombay on the terms and conditions specified hereinbelow—

1. Shri A. R. Gupte.
2. Shri C. T. George.
3. Shri A. B. Belgal.
4. Shri A. K. Wanwari.
5. Shri A. G. Deshmukh.
6. Shri A. M. Desai.
7. Smt. Teja Katdare
8. Shri A. M. Chimalkar.
9. Smt. Usha Sisodia.
10. Shri J. R. More.
11. Shri I. J. Mansharamani.
12. Shri G. M. Vakil.
13. Shri M. P. Johri.
14. Shri R. N. Patil.

Terms and conditions :

1. These appointments shall be for a period of 3 years.
2. No. retainer/monthly remuneration will be paid to these appointees.
3. The appointees will be eligible for the fees as stated below—
   (a) Drafting complaint—Rs. 200 per day upto maximum of 5 such hearing.
   (b) Effective hearing (A)—Rs. 300 per session i.e forenoon or afternoon.
   (B) Rs. 600 if effective hearing takes place in the forenoon and afternoon session.
   (C) Non-effective hearing—Rs. 200 per day upto maximum of five such hearing.
   (D) Conference charges—Rs. 60 per hour upto maximum of 3 conference.
4. The appointees shall appear in any Criminal case in the Special Courts against the Central Government or any officer of the Central Government or against any department of the Central Government.
5. The appointments would be terminable on one month's notice in writing on either side.

[No. F 23(2)/90-JUDL.]

P. C. KANNAN, Addl. Legal Adviser

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 1994

सा.का.नि. 451—बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 11 के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री राघवेन्द्र अनन्ते मेहता, 12, मुथा चेम्बर्स, सेनापति बापट मार्ग, पुणे-411053 को, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, बम्बई में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 18-9-95 तक की अवधि के लिए पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है ।

[एफ.सं. 18(20)/93-समन्वय]

एस.के. वत्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 12th July, 1994

G.S.R.451.—In pursuance of the powers conferred by Section 9 read with Section 11 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby appoints Shri Raghavendra Anantray Mehta, 12, Mutha Chambers, Senapati Bapat Road, Pune-411053 as Presiding Officer of the Debts Recovery Appellate Tribunal, Bombay for a period upto 18-9-95 from the date he enters upon his office

[F. No. 18(20)|93-Coord]

S. K. BATRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1994

सा.का.नि. 452 :—बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 6 के साथ पठित धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री अनूप चन्द गोयल, जिला और सेशन न्यायाधीश, सीकर की, दिनांक 27 अगस्त, 1994 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए या उनके द्वारा साठ वर्ष की आयु पूरी करने तक, जो भी पहले हो ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर में प्रतिनियुक्ति के आधार पर पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है ।

[एफ.सं. 18(49)/94-समन्वय]

के. श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 30th August, 1994

G.S.R. 452.—In pursuance of the powers conferred by Sub-section (1) of section 4 read with section 6 of the Recovery of Debts Dues to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993) the Central Government hereby appoints Shri Anoop Chand Goel, Distt. & Sessions Judge, Sikar as Presiding Officer of the Debts Recovery Tribunal, Jaipur on deputation basis for a period of five years from the forenoon of 27th August, 1994 or till he attains the age of sixty years, which ever is earlier.

[F. No. 18(49)/94-Coord.]

K. SRINIVASAN, Jt. Secy.

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1994

सा.का.नि. 453.—क्रीमरी मक्खन श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1941 का और संशोधन करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाना चाहती है उक्त धारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना के पूरे भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा,

ऐसा कोई व्यक्ति, जो उक्त प्रारूप नियमों को बाबत कोई सुझाव देना या कोई आक्षेप करना चाहता है उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार करने के लिए इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, केन्द्रीय सरकार कार्यालय कॉम्प्लेक्स एन एच.-4, फरीदाबाद-121001 (हरियाणा) को भेज सकता है ।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम क्रीमरी मक्खन श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम, 1993 है ।

2. क्रीमरी मक्खन श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1941 में-

(i) नियम 6 के उप नियम (2) के मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(ग) डिब्बों और 20 ग्राम शुद्ध भार से अधिक मक्खन से युक्त पैकेटों पर मास और वर्ष में पैकिंग की तारीख संकेत की या स्पष्ट शब्दों में और अंकों में तथा टिनों पर स्पष्ट शब्दों और अंकों में, "

(ii) अनुसूची 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची 1 और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"अनुसूची-1"

(नियम 2क और नियम 3 देखिए)

क्रीमरी मक्खन का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा				
	विशेष विशिष्टता				
	भार के आधार पर दुग्ध वसा प्रतिशत (न्यूनतम)	भार के आधार पर नमी प्रतिशत (अधिकतम)	भार के आधार पर दही प्रतिशत (अधिकतम)	भार के आधार पर लैक्टिक के अम्ल के रूप में अम्लता प्रतिशत (अधिकतम)	
1	2	3	4	5	6
*पास्तेरीकृत टेबल मक्खन	80.0	16.0	1.5	0.15	1. यह गाय या भैंस या दोनों के दूध से प्राप्त स्वच्छ और पौष्टिक क्रीम से तैयार किया गया उत्पाद होगा जिसमें स्वच्छ डेयरी नमक मिला हुआ या बिना मिला हुआ होगा ।
गैर पास्तेरीकृत टेबल मक्खन	80.0	16.0	1.5	0.15	

1	2	3	4	5	6
					2. यह विशिष्ट गंध और रुचिकर स्वाद का होगा । यह स्वच्छ मजेदार तथा आपत्तिजनक वास और विकृत-गंधिता से मुक्त होगा । इसमें डायसेटिल के सिवाय कोई बाह्य सुरुचिकारक मिला हुआ नहीं होगा, परन्तु कुल डायसेटिल अंतर्वस्तु प्रति दस लाख 4 0 भाग से अधिक नहीं होगी ।
					3. यह 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा होगा और न चिकनाई युक्त होगा न ही तैलीय । ढांचा ठोस होगा और भंग होने पर एक सी उत्कृष्ट दानेदार सतह दिखाई देगी ।
					4. मक्खन का रंग एक सा और बिना किसी धारी चित्ती या वही कण के निशान से रहित होगा । अनाटो या कैरोटीन के सिवाय कोई रंजक द्रव्य नहीं मिलाया जाएगा ।
					5. किसी विशिष्ट क्षेत्र में उत्पादित मक्खन वसा की शुद्धता उसी क्षेत्र में उत्पादित घी के लिए घी श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1938 के अधीन विहित भौतिक-रासायन स्थिरांक के प्रति निर्देश से आंकी जाएगी ;
					6. यह अन्य पशु वसा, वनस्पति तेल या वसा, खनिज तेल, मांस या किसी बाह्य पदार्थ या अशुद्धता से मुक्त होगा ।
					7. इसमें सामान्य नमक के सिवाय जो भार के आधारपर 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, कोई अन्य परिरक्षी अंतर्विष्ट नहीं होगी ;
					8. इसमें प्रति किलोग्राम 5 माइक्रो ग्राम से अनधिक एफलाटाक्सिन (जिसके अन्तर्गत एम 1 और एम 2 भी है) अंतर्विष्ट होगा ;
					9. यह खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के नियम 57क और 57ख का भी अनुपालन करेगा ;
					10. कुल प्लेट गणना 30000 प्रतिग्राम से कम होगी ,
					11. पास्तेरीकृत मक्खन ई.कोली, स्टैफिलोकोकस आरियस, साल्मोनेल्ला और शिगेल्ला से मुक्त होगा ;
					12 कोलीफार्म गणना प्रति ग्राम 10 से कम होगी ;
					13. उत्पाद का प्रति 0.1 ग्राम जीवाणु स्पोर गणना 10 से अधिक नहीं होगी जब इसकी प्लेट गणना पद्धति द्वारा अवधारण किया जाए ।
					14. यदि "इकोमार्क" लागू होता है, तो यह सुसंगत नियमों के अधीन विहित "इकोमार्क" विनिर्देश का भी अनुपालन करेगा ;
					15. मक्खन के निर्यात की दशा में, यह क्रेता के विनिर्देशों यदि कोई है, का भी अनुपालन करेगा और क्रेता के आर्डर में विहित या आयात किए जाने वाले देशों में खाद्य और औषधि प्रयोग मानकों में उसके अनुबंध के अनुसार जीवाणु धात्विक संदूषण, माइक्रोटोक्सीन और नाशक जीवभार अवशेष अंतर्वस्तु की अपेक्षाओं को पूरा करेगा ।

[फा.स. 18011/10/93-एम-II]

पी. ज्योति राव, संयुक्त सचिव

*पास्तेरीकृत टेबल मक्खन पास्तेरीकृत क्रीम से बना होगा और उसका फास्फेटेस परीक्षण नकारात्मक होगा ।

टिप्पण : 1. मूल नियम भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की अधिसूचना सं. 3-27 (1) 40, तारीख 5-5-1941 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2 तारीख 25-5-1941 में प्रकाशित किए गए थे ।

2. पहला संशोधन कृषि मंत्रालय के सं. 10-84/48 सा.का.तारीख 14-9-1948 के रूप में भारत के राजपत्र, भाग 1, खंड (i) तारीख 18-9-48 में प्रकाशित हुआ था ।

3. दूसरा संशोधन का.आ. 599, तारीख 25-5-1953 के रूप में भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3 में प्रकाशित हुआ था ।

4. तीसरा संशोधन का.आ. 2119, तारीख 31-7-1954 के रूप में भारत के राजपत्र, भाग 2 खंड 3, तारीख 4-7-1954 में प्रकाशित हुआ था ।

5. चौथा संशोधन का.आ. 2888, तारीख 28-7-1982 के रूप में भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, तारीख 14-8-1982 का प्रकाशित हुआ था ।

6. पांचवां संशोधन ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. 478 तारीख 3-8-1992 के रूप में भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) तारीख 19-9-92 में प्रकाशित हुआ था ।

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 23rd August, 1994

G.S.R. 453.—The following draft rules further to amend the Creamery Butter Grading and Marking Rules, 1941, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), are hereby published as required by the said section, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public:

Any person desirous of making any suggestion or objection in respect of the said draft rules may forward the same for consideration of the Central Government within the period so specified to the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India, Directorate of Marketing and Inspection, Central Government Offices' Complex, NH-4, FARIDABAD-121001 (Haryana).

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Creamery Butter Grading and Marketing (Amendment) Rules, 1993.

2. In the Creamery Butter Grading and Marking Rules, 1941,—

(i) for item (c) of sub-rule (2) of rule 6, the following item shall substituted, namely :—

"(c) Date of packing, in month and year either in code or in plain words and figures on cartons and packets containing more than 20 grams net weight butter and in plain words and figures on tins.";

(ii) for Schedule-I and the entries relating thereto the following Schedule 1 and the entries shall be substituted namely —

SCHEDULE-I

(See rules 2A and 3)

Grade designations and definition of quality of Creamery Butter

Grade designation	Definition of quality				
	Special Characteristics				General Characteristics
	Milk fat Per cent by weight (Minimum)	Moisture Per cent by weight (Maximum)	Curd Per cent by weight (Maximum)	Acidity as lactic acid percent by weight (Maximum)	
1	2	3	4	5	6
Pasteurised Table butter	80.0	16.0	1.5	0.15	1. It shall be the product derived from clean and wholesome cream obtained from the milk of cow or buffalo or both, with or without the addition of clean dairy sale;
non-Pasteurised Table Butter.	80.0	16.0	1.5	0.15	2. It shall have the characteristic smell and agreeable taste. It shall be clean, pleasant and free from objectionable odour and rancidity. No extsaneous flavouring agent

6

except diacetyl shall be added provided that total diacetyl content shall not exceed 4.0 parts per million;

3. It shall be firm at 15°C and be neither greasy not oily. Body shall be compact and show uniform fine granular surface on breaking;

4. The colour of butter shall be uniform and without any streakiness, mottling or sings of curd particles. No colouring matter except annatto or carotene shall be added;

5. The purity of butter fat produced in a particular area shall be judged with reference to the physicochemical constants proscribed under the Ghee Graping and Marking Rules, 1938 for ghee produced in the same area;

6. It shall be free from other animal fats, vegetable oils or fats, minerals oils, wax or any extraneous substances or impurities;

7. It shall not contain any other preservatives except common salt which shall not exceed 3 percent by weight;

8. It shall contain aflatoxin (including M_1 & M_2, not more than 5 microgram per kilogram;

9. It shall also comply with rule 57-A and 57-B of the Prevention of food Adulteration Rules, 1955;

10. The total plate count shall be less than 30000 per gram;

11. Pasteurised butter shall be free from E. Coli, Staphylococcus aureus, Salmonella and Shigella;

12. Coliform count shall be less than 10 pmr gram;

13. B-acterial spore count per 0.1 gram of the product shall not be more than 10 when determined by the plate count method;

6

14. In case of "ECOMARK" applied, it shall also comply with ECOMARK specifications prescribed under the relevant rules;

15. In case of export of butter it shall also conform to the buyers specifications, if any, and shall meet the requirements of bacetriological, metallic contaminents, mycotoxins and presticide residue content prescribed, eiher in the order from the buyer or as per the stipulation thereof in the importing countries foods and drugs administration standards.

*Pasteurised table butter shall be made from pasteurised cream and the phosphatase test shall be negative.

[F.No. 18011/10/93-M-II]

P. JYOTI RAO, Jt. Secy.

Note. : The principal rules were published under the Notification of the Government of India, Ministry of Agriculture No. 3-27(1)40 dated 5-5-1941, in the Gazette of India, Part I dated 24-5-1941.

2. First amendment published as F-10-84/48 Co. dated 14-9-1948 of the Ministry of Agriculture, in the Gazettee of India, Part I, Section (i) dated 18-9-1948.

3. Second amendment published as S.R.O. 599 dated 25-3-1953 in the Gazette of India, Part II, Section 3.

4. Third amendment published as S.O. 2119 dated 31-7-1954 in the Gazette of India, Part II, Section 3, dt. 3-7-1954.

5. Fourth amendment published as S.O. 2888 dated 28-7-1982 in the Gazette of India, Part II, Section 3(ii) dated 14-8-1982.

6. Fifth amendment published as GSR 418 dated 3-8-1992 of the Ministry of Rural Development, in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated 19-9-1992.

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1994

सा.का.नि. 454.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जल संसाधन मंत्रालय, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में हिन्दी अधिकारी (समूह "ख" पद) भर्ती नियम 1987 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमो का संक्षिप्त नाम, जल संसाधन मंत्रालय, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में हिन्दी अधिकारी (समूह "ख" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1994 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. जल संसाधन मंत्रालय, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में हिन्दी अधिकारी (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1987 में,—

(i)

(ii) अनुसूची में, स्तंभ 3 और स्तंभ 4 में निधमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित अननुसचिवीय, और सेमी और "रु. 2000-60-2300-द.रो.—75-3200-100-3000" ।

[फा.सं. 22/6/90-ई.आर./761]

श्रीभगवान खेटवाणी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र सा.का.नि. 29 दिनांक 16 जनवरी, 1988 में प्रकाशित हुए थे ।

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 30th August, 1994

G.S.R. 454.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Hindi Officer in the Ganga Flood Commission, Ministry of Water Resources, (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1987, namely:—

1. (1) These rules may be called the Hindi Officer in the Ganga Flood Commission, Ministry of Water Resources (Group 'B' Post) Recruitment (Amendment) Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Hindi Officer in the Ganga Flood Commission, Ministry of Water Resources (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 1987,—

(i) in subrule (1) of rule 1, for the words "Ganga Flood Commission", the words "Ganga Flood Control Commission" shall be substituted;

(ii) in the Schedule, in columns 3 and 4 for the existing entries, the following entries shall respectively be substituted namely:—

"General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial"; and

"Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500".

[F. No. 22/6/90-ER/761]

HARBHAGWAN KHETWANI, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gadette of India, vide number G.S.R. 29 dated the 16th January, 1988.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली 18 अगस्त, 1994

सा.का.नि. 455 – राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में तकनीकी पर्यवेक्षक (नेत्र विज्ञान) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली समूह "ख" तकनीकी पर्यवेक्षक (नेत्र विज्ञान) भर्ती नियम, 1994 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 11 में यथा विनिर्दिष्ट है ।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
तकनीकी पर्यवेक्षक (नेत्र विज्ञान)	1*	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह "ख" अराजपत्रित अननुसचिवीय,	2000-60-2300-द. रो.-75-3200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	कुछ नहीं

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण 1 केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी— (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने 1640-2900 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर दो वर्ष नियमित सेवा की है ; या (iii) जिन्होंने 1400-2300/2600 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर सात वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है :— आवश्यक (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अपवर्तन और दृष्टिमिति में डिग्री/डिप्लोमा या समतुल्य । (ii) डिग्री/डिप्लोमा धारकों के व्यवसाय में क्रमश: 3/5 वर्ष का अनुभव । 2 ऐसे विभागीय ज्येष्ठ अपवर्तकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जिसने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है । यदि पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन कर लिया जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा । टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
13	14
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[सं. ए. 12018/19/93-आर. आर. (एच.)]

लाल सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 18th August, 1994

G.S.R. 455.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technical Supervisor (Ophthalmology) in the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi.

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi Group 'B' Technical Supervisor Ophthalmology) Recruitment Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the schedule annexed to these rules

3. Method of recruitment, age limit qualifications etc.—The method of the recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said schedule.

4. Disqualification.—No person.

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order for reason to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

3. Method of recruitment, age limit qualifications etc.—relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes and Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or Non-selection post
1	2	3	4	5
Technical Supervisor (Opthalmology)	1* (One) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200	Not applicable

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification for direct recruits
6	7	8
Not applicable	Not Applicable	Not Applicable

Whether age and educational qualification described for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by a various method.
9	10	11
Not Applicable	Nil	Promotion Transfer on deputation

In case of recruitment by promotion/deputation/ transfer grade from which promotion/deputation/ transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Promotion/Transfer on deputation 1. Officers under the Central Government – (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; OR (ii) with 2 years regular service in posts in the scale of Rs. 1640-2900 or equivalent; OR (iii) with 7 years regular service in posts in the scale of Rs. 1400-2300/2600 or equivalent; and (b) possessing the following educational qualification and experience :– Essential : (i) Degree /Diploma in refraction and optometry from a recognised University/Institute or equivalent. (ii) 3/5 years experience in the profession for Degree/Diploma holders respectively. (2) The Departmental senior Refractionist with 2 years' regular service in the grade will also be considered alongwith the outsiders In case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be treated as having been filled by promotion. Note*. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible. for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre posts held., immediately preceding this appointment in the same or some other organisation-department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of application.)	Not applicable.	Consultation with UPSC necessary.

[No. A-12018/19/93-RR(H)]
LAL SINGH, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1994

सा का नि. 456.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खान सुरक्षा महानिदेशालय (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1980 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान सुरक्षा महानिदेशालय (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 खान सुरक्षा महानिदेशालय समूह "क" और समूह "ख" पद (भर्ती नियम 1990 की अनुसूची में, खान सुरक्षा सहायक निदेशक (स्वास्थ्य उपजीविका जन्य) श्रेणी 1 और खान सुरक्षा सहायक निदेशक (स्वास्थ्य उपजीविका जन्य) श्रेणी 2 के पदों से संबंधित क्रम सं. 9—ख और 9—ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित रखा जाएगा :—

1	2	3	4	5	6	6(क)
"9—ख खान सुरक्षा सहायक निदेशक (स्वास्थ्य उपजीविका जन्य) श्रेणी 1	3* (1993) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय	3000-100-3500-125-4500 धन प्रैक्टिस बंदी भत्ता	चयन	15 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	हां टिप्पण : केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 का फायदा केवल सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए लागू किया जा सकता है। यह फायदा ऐसे व्यक्तियों के लिए अनुज्ञेय नहीं होगा जिनकी इस नियुक्ति के पूर्व केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों और स्वशासी निकायों के अधीन की गई सेवा की अवधि की गणना पेंशन के फायदों के लिए की जा चुकी है और जिन्हें इन निकायों के अधीन की गई अपनी पूर्व सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा दिया जा चुका है।

आवश्यक (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की प्रथम या द्वितीय अनुसूची या अनुसूची के भाग 2 में (लाइसेंसशिएट अर्हता से भिन्न) सम्मिलित कोई मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता। तृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित शैक्षिक अर्हताओं के धारकों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम की धारा 13(3) में दी गई शर्तें पूरी करनी होंगी।) (ii) स्वास्थ्य उपजीविका जन्य के क्षेत्र में अधिमानतः खानों और कारखानों पांच वर्ष का अनुभव। या सामाजिक और निवारक आयुर्विज्ञान/औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान/शरीर क्रिया आयुर्विज्ञान/स्वास्थ्य उपजीविका जन्य मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री और स्वास्थ्य उपजीविका जन्य के क्षेत्र में अधिमानतः, कारखानों या खानों में दो वर्ष का अनुभव।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

7	8
टिप्पण 1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	

10	11	12	13
(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। (ii) 59 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : ऐसा खान सुरक्षा सहायक निदेशक (स्वास्थ्य उपजीविकाजन्य श्रेणी 2,) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण : ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों पर भी, जिन्होंने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है प्रोन्नति के लिए तब विचार किया जाएगा जब ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों पर जिन्होंने अपेक्षित सेवा अवधि पूरी कर ली है विचार किया जा रहा हो। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने 2200–4000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है ; या (iii) जिन्होंने 2000–3500 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर आठ वर्ष नियमित सेवा की है ; और (ख) जिनके पास स्तम्भ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। पोषण प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 (तीन) वर्ष से अधिक नहीं होगी	समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए। 1. सचिव/अपर सचिव, श्रम मंत्रालय 2. संयुक्त सचिव, श्रम मंत्रालय —सदस्य 3. खान सुरक्षा महानिदेशक/खान सुरक्षा उपमहानिदेशक —सदस्य टिप्पण : सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति की पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)

1	2	3	4	5	6	6(क)
"9 ग खान सुरक्षा निदेशक (स्वास्थ्य उपजीविका जन्य) श्रेणी 2	5* (1993) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित अननुसचिवीय	2200-75-2800-द रो -100-4000 धन प्रैक्टिस बंदी भत्ता	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	हां टिप्पण : केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 का फायदा केवल सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए लागू किया जा सकता है । यह फायदा ऐसे व्यक्तियों के लिए अनुज्ञेय नहीं होगा जिनको इस नियुक्ति के पूर्व केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों और स्वशासी निकायों के अधीन की गई सेवा की अवधि की गणना पेंशन के फायदों के लिए की जा चुकी है और जिन्हें इन निकायों के अधीन की गई अपनी पूर्व सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा दिया जा चुका है ।

7	8	9
आवश्यक : भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की प्रथम या द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग 2 में (लाइसेंशिएट अर्हता से भिन्न) सम्मिलित कोई मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता । तृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित शैक्षिक अर्हताओं के धारकों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 13(3) में दी गई शर्तें पूरी करनी होंगी ।" टिप्पण : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । वांछनीय : स्वास्थ्य उपजीविका जन्य के क्षेत्र में अधिमानतः खानों और कारखानों में दो वर्ष का अनुभव । स्वास्थ्य उपजीविका जन्य सामाजिक या निरोधक आयुर्विज्ञान या शरीर क्रिया आयुर्विज्ञान में मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य ।	लागू नहीं होता	एक वर्ष

10	11	12	13
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, श्रम मंत्रालय —सदस्य 3 खान सुरक्षा महानिदेशक/खान सुरक्षा उप महानिदेशक —सदस्य समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) 1. सचिव/अपर सचिव, श्रम मंत्रालय —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, श्रम मंत्रालय —सदस्य 3. खान सुरक्षा महानिदेशक/खान सुरक्षा उप महानिदेशक —सदस्य "टिप्पण :—सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति की पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी । किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।"	सीधी भर्ती करते समय और प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति के किसी अधिकारी का चयन करने समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा.सं. ए-12018/2/92-आई.एस.एच.-1]

आर.के. सिंह, उप सचिव

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 207 तारीख 20-2-1980 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उसके पश्चात् उनके निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया है :—

1. सा.का.नि. सं 616 तारीख 10-6-1981
2. सा.का.नि. सं. 237 तारीख 20-2-1982
3. सा.का.नि. सं 416 तारीख 17-4-1982
4. सा.का.नि. सं. 562 तारीख 5-6-1982
5. सा.का.नि. सं. 142 तारीख 29-1-1983
6. सा.का.नि. सं. 206 तारीख 24-3-1983
7. सा.का.नि. सं. 958 तारीख 28-11-1983
8. सा.का.नि. सं 633 तारीख 6-6-1984
9. सा.का.नि. सं. 845 तारीख 19-7-1984
10. सा.का.नि. सं 1285 तारीख 1-12-1984
11. सा.का.नि. सं. 108(अ) तारीख 23-2-1987
12. सा.का.नि. सं. 489 तारीख 14-3-1988
13. सा.का.नि. सं 442 तारीख 29-5-1989
14. सा.का.नि. सं. 91 तारीख 29-1-1990
15. सा.का.नि. सं. 283 तारीख 14-4-1990
16. सा.का.नि. सं. 408 तारीख 19-6-1990
17. सा.का.नि. सं 486 तारीख 23-7-1990
18. सा.का.नि. सं 765 तारीख 7-12-1990
19. सा.का.नि. सं. 541 तारीख 5-9-1991
20. सा.का.नि. सं. 331 तारीख 23-6-1992
21. सा.का.नि. सं. 271 तारीख 12-5-1993
22. सा.का.नि. सं. 72 तारीख 12-1-1994

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 25th August, 1994

G.S.R. 456.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Directorate General of Mines Safety (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1980 namely :—

1. (1) These rules may be called the Directorate General of Mines Safety (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate General of Mines Safety (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1980 for serial numbers 9-B and 9-C and the entries relating to the posts of Assistant Director of Mines Safety (Occupational Health) Grade I and Assistant Director of Mines Safety Occupational Health) Grade II, the following shall be substituted, respectively, namely :—

1	2	3	4	5	6
"9-B-Assistant Director of Mines Safety (Occupational Health) Grade-I	3* (1993) *Subject variation dependent on workload.	General Service Group 'A' Gazetted Non-Ministrial	Rs. 3000-100-3500-125-plus Non-Practicing allowance	Selection	Not exceeding 40 yeras. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands Lakshadweep.

6(a)	7
Yes. Note : The benefit of rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules 1972, can be made applicable for direct recruits only. The benefit will not be admissible to those who are allowed to count for pensionary benefit their previous services under Central/State Govts. and autonomous bodies and to those who have received the benefit of added years of service in their previous service unde these bodies.	Essential: (i) A recognised medical qualification included in the First or the Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than the licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act 1956. Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should fulfil the conditions stipulated in section 13(3) of the Indian Medical Council Act. (ii) Five years' experience in the field of occupational health preferably in Mines and Factories. OR A recognised Post-graduate Degree in Social and Preventive Medicine/Industrial Hygiene/Physiological Medicine/Occupational Health or equivalent with two years' experience in the field of occupational health preferably in factories or Mines.

7
Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of Candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisites experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

8	9	10	11
Age : No	Educational Qualifications : Yes	One year for direct recruits (i) 50% by promotion failing which by transfer on deputation (including Short-term contract) failing both by direct rectt. (ii) 50% by direct rectt.	PROMOTION Assistant Director of Mines Safety (Occupational Health) Grade II with five years' regular Service in the grade. Note : The seniors who have completed the period of probation shall also be considered when the juniors who have completed the requisite length of service are being considered. Transfer on deputation (including short-term contract) Officers under the Centra Government/State Governments/ Recognised Research Institutions/Statutory or Autonomous Organisations: (i) Holding analogous posts on regular basis ; or (ii) with five years regular service posts in the scale of Rs. 2200-4000 or equivalent; or (iii) With eight years' regular service in posts in the scale of Rs. 2000—3500 or equivalent; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.

11
The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 (Three) years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short-term contract)/shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.

12	13
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) 1. Chairman/Member, Union-Public Sercice Commission—Chairman. 2. Joint Secretary, Ministry of Labour—Member. 3. Director General of Mines Safety/Deputy Director General of Mines Safety—Member. 'Group 'A' Departmental Promotion Committee. (For considering confirmation). 1. Secretary/Additional Secretaty, Ministry of Labour — Chairman 2. Joint Secretary, Ministry of Labour. —Member. 3. Director General of Mines Safety/Deputy Director General of Mines Safety—Member. "Note : The prceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the commission for approval. If however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held."	Consultation with the U.P.S.C. necessary while making direct recruitment and while selecting an Officer for appointment by deputation/contract."

1	2	3	4	5	6
"9-C. Assistant Director of Mines Safety (Occupational Health) Grade-II	5* (1993) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' gazetted Non-Ministerial.	Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000 plus Non Practising allowance.	Not applicable	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of the applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State; Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

6A	7
Yes. Note : The benefit of rule 30 of the Central Civil Services /Pension) Rules 1972, can be made applicable for direct recruitment only. The benefit will not be admissible to those who are allowed to count for pensionary benefit their previous service under Central/State Governments and autonomous bodies and to those who have received the benefit of added years of service in their previous service under these bodies.	Essential A recognised medical qualification included in the first or the second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than the licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should fulfil the condition stipulated in Section 13(3) of the Indian Medical Act, 1956. Note : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Desirable Two years' experience in the field of Occupational Health preferably in Mines and factories. OR A recognised post-Graduate Diploma in Occupational Health Social or Preventive Medical or Physiological Medicines or equivalent.

8	9	10	11
Not applicable	One Year	By Direct Recruitment	Not applicable

12	13
Group 'A' Departmental Promotion Committee. (For considering confirmation) 1. Secretary/Additional Secretary, Ministry of Labour—Chairman. 2. Joint Secretary, Ministry of Labour—Member. 3. Director General of Mines Safety/Deputy Director General of Mines Safety—Member.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary."
"Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation of a direct Recruitment shall be sent to the commission for approval. If however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held."	

[F. No.A.—12018/2/92—ISH-I]
R.K. Rang, Dy. Secy.

Principal rules were published vide notification No.—G.S.R. 287, dated 20-2-1980, and subsequently amended by :—

(1) G.S.R. 610, dated 10-6-1981.
(2) G.S.R. 237, dated 20-2-1982.
(3) G.S.R. 416, dated 17-4-1982.
(4) G.S.R. 562, dated 5-6-1982.
(5) G.S.R. 142, dated 29-1-1983.
(6) G.S.R. 206, dated 24-3-1983.
(7) G.S.R. 958, dated 28-11-1983.
(8) G.S.R. 633. dated 6-6-1984.
(9) G.S.R. 845, dated 19-7-1984.
(10) G.S.R. 1285, dated 1-12-1984.
(11) G.S.R. 108(E), dated 23-2-1987.
(12) G.S.R. 489(R), dated 14-3-1988.
(13) G.S.R. 422, dated 29-5-1989.
(14) G.S.R. 91, dated 29-1-1990.
(15) G.S.R. 283, dated 11-4-1990.
(16) G.S.R. 408, dated 16-6-1990.
(17) G.S.R. 486, dated 23-7-1990.
(18) G.S.R. 765, dated 7-12-1990.
(19) G.S.R. 544, dated 5-9-1991.
(20) G.S.R. 331, dated 23-6-1992.
(21) G.S.R. 271, dated 12-1-1994.
(22) G.S.R. 72, dated 12-1-1994.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994